39K42

वरीय प्रभारी पदाधिकारी
शाखा... 7/1143/

समाहरणालय
23 JUN 2015
मधेपुरा

पत्रांक 384/

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

प्रेषक,

अंजनी कुमार सिंह,
मुख्य सचिव, बिहार।

सेवा में,

प्रभारी प्रधान सचिव / सचिव
सभी जिला,
बिहार।

पटना–15, दिनांक– 23.06.15

विषयः **ओलापात, चकवाती तूफान, एवं भूकम्प से प्रभावित लोगों को शीघ्र राहत वितरण कराने एवं जिलों से उपयोगिता प्रमाण पत्र भिजवाने के संबंध में।**

महाशय,

अवगत हैं कि वर्ष 2015 के माह फरवरी एवं मार्च में सम्पूर्ण राज्य में ओलापात एवं अतिवृष्टि के कारण फसलों का भारी क्षति हुई है। साथ ही माह अप्रैल में राज्य के 8 जिलों में चकवातीय तूफान एवं पुनः माह अप्रैल एवं मई में राज्य के कई जिलों में बारम्बार आए भूकम्प के झटकों से जानो–माल की व्यापक क्षति हुई है। फलतः राज्य में इन प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ितों के लिए राज्य सरकार द्वारा व्यापक स्तर पर राहत कार्य चलाए गए हैं। दिनांक 22.06.2015 को माननीय मुख्य मंत्री द्वारा विभिन्न जिलों में चलाए जा रहे राहत कार्यों की व्यापक समीक्षा की गई। समीक्षा के कम में निम्नांकित स्थितियाँ प्राप्त हुई हैः–

462.
23-6-15

1. कतिपय जिलों द्वारा राहत कार्यो का निष्पादन पूर्ण कर लिया गया है।
2. कतिपय जिलों द्वारा चलाए जा रहे राहत कार्यो का निष्पादन पूर्ण नहीं हुआ है।
3. जिलों द्वारा राहत कार्यो के लिए प्राप्त आवंटन के विरूद्ध व्यय की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं भेजा गया है।

समीक्षा के कम में माननीय मुख्य मंत्री द्वारा यह निदेश दिया गया है कि राहत कार्यों का निष्पादन शीघ्र पूर्ण कर व्यय़ की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए। इस कार्य हेतु सभी जिलों के प्रभारी सचिव/ प्रधान सचिव अपने–अपने आबंटित जिलों का भ्रमण करें।

उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में अनुरोध है कि आगामी 7 दिनों के भीतर अपने प्रभार के जिलों का भ्रमण कर राहत कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराने की रणनीति बना ली जाए। साथ ही वितरित की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शीघ्र तैयार कर आपदा प्रबंधन विभाग/कृषि विभाग को यथानुसार भिजवाने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन

(अंजनी कुमार सिंह)
मुख्य सचिव,
बिहार

समाहरणालय, मधेपुरा
(आपदा प्रबंधन शाखा)

ज्ञापांक 409

दिनांक 27.06.2015

प्रतिलिपि:- सभी अंचल अधिकारी/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि दिनांक 29.06.2015 तक निश्चितरूपेण उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं व्यय-प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित किया जाए।

प्रतिलिपि:- अनुमण्डल पदाधिकारी - मधेपुरा/उदाकिशुनगंज को अनुश्रवण हेतु प्रेषित।

अपर समाहर्त्ता,
आपदा प्रबंधन,
मधेपुरा